THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Yes, Sir. The Growth Centre Scheme was announced in 1988 and was to be implemented during the VIll Five Year Plan period. These growth centres each of which would be developed in an are a of 400—800 hectare would be endowed with basic infrastructural facilities like power, telecommunication, water and banking enabling them to attract industries. Each growth centre would be developed at the cost of Rs. 25—30 crore and would be jointly funded by the Centre, State and the financial institutions. So far 69 centres have been selected and announced out of 70 centres to be established in 8th Plan. Project reports on 66 centres have been received and 39 have been finally approved so far. A sum of Rs. 73.24 crore has been released as Central assistance so far.

(c) and (d) The State of Bihar has been allotted 6 growth centres. The project reports received in respect of these centres are under appraisal.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह के संबंध में "फिक्की" का अध्ययन

2742. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1994 के दैनिक "टेलीग्राफ" में "फिक्की स्टडी शोज बिग गैप इन एफ० डी० आई० 'इनफ्लो' " शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1991 से 31 मार्च, 1994 तक देश में पूंजी निवेश हेतु 4719.50 मिलियन डॉलर के विदेशी पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी परन्तु उनमें से अब तक केवल 1141.33 मिलियन डॉलर की विदेशी पूंजी की परियोजनाओं का ही कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और क्या यह भी सच है कि कुल विदेशी पूंजी, जिसका उपयोग वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन हेतु किया जा रहा है, का एक अल्प भाग ही देश के प्रमुख उद्योगों—कृषि और लघु उद्योग-में निवेश किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो कृषि और लघु उद्योगों में अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1991 से 1994 की अवधि में देश में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा वस्तुतः प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के समग्र आंकड़े इस प्रकार हैं;—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	वस्तुतः प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
1991	534.11	351.43
1992	3887.54	675.22
1993	8859.33	1786.00
1994	14187.19*	2971.70

* इसमें यूरो इश्यू के माध्यम से जुटाई जाने वाली विदेशी निवेश की 5230.44 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

विदेशी निवेश का कार्यान्वयन तथा वास्तविक अंतर्प्रवाह प्रारंभिक अवधि पर निर्भर होता है, जो प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग होती है। बिजली, ईंधन आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं की फ्लन अवधि दीर्घ कालिक होती हैं। ऐसे मेगा परियोजनाओं के लिए अनुमोदित विदेशी निवेश जो कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों का करीब 50 प्रतिशत बनता है, को तथा यूरो-इश्यू से जुटाई जाने वाली विदेशी निवेश की रकम को छोड़कर, अनुमोदन—अंतर्प्रवाह अनुपात करीब 2:1 होगा।

कृषि सहित अचल संपति में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी कृषि उत्पादों, बागवानी तथा पुष्प खेती पर आधारित उद्योगों समेत अनुमोदित विदेशी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण (नीचे देखिए) में दिये गये हैं।

सरकार की नीति के तहत विदेशी उपक्रमों सहित

अन्य उपक्रमों द्वारा लघु क्षेत्र में केवल 24 प्रतिशत तक ईक्विटी पूंजी के रूप में निवेश करने की पाबंदी लगाई जाती है।

विवरण

नयी नीति की घोषणा के बाद यानि 1.8.91 से 31.1.95 की अवधि में अनुमोदित विदेशी निवेश के क्षेत्र-वार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	उद्योग का नाम		राशि
1	2		3
1.	धातुकर्मी उद्योग		
	लौह		2887.71
	अलौह		762.10
	विशेष मिश्र धातु		23.72
	विविध (अन्य मद) — धातुकर्मी		43.51
		योग	3717.04
2.	ईंधन		
	बिजली		3196.57
	तेलशोध शाला		3059.14
	अन्य (ईंधन)		575.84
		योग.	6829.55
3.	बायलर तथा भाप नियंत्रण संयंत्र		67.60
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जिनित्रण के अलावा)		2.54
5.	विद्युत उपकरण		
	विद्युत उपकरण		793.04
			734.97
	कंप्यूटर साफ्टवेयर		
	उद्योग इलेक्ट्रानिक्स		387.57
	अन्य (एस डब्ल्यू)		6.81
		योग:	1921.71
6.	दूरसंचार		208.85
7.	परिवहन उद्योग		
	आटोमोबाइल उद्योग		613.70
	वायुयान/समुद्री परिवहन		1047.80
	अन्य (परिवहन)		23.47
		योग:	1684.97
8.	औद्योगिक मशीनरी		856.82
9.	मशीनी औजार		40.73
10.	कृषि मशीनरी		161.35
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी		12.97
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग		140.90
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर		81.57
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण		18.48
15.	औद्योगिक उपकरण		19.44
16.	वैज्ञानिक उपकरण		35.96
17	उर्वरक		3.64
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)		2401.31
19.	फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म तथा पेपर		20.63
20	रंजक सामग्री		5.96
21.	औषध तथा भेषज		229.88
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)		1237.17
23.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित		392.44
24.	चीनी		53.50
25	फर्मेन्टेशन उद्योग		207.89
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
	खाद्य उत्पाद		1933.80
	मेगाइन उत्पाद		78.84
	विविध (खाद्य उत्पाद)		8.00
		योग:	2020.64
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति		28.88
28.	साबुन, कासेटिक तथा टायलेट प्रिपेरेशन		43.96
29.	रबड़ की वस्तुएं		96.21
30.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक		73.67
31	कांच		180.83
32.	सिरेमिक्स		293.61
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद		380.98
34.	टिम्बर उत्पाद		0.11
35.	सुरक्षा उद्योग		0.00

1	2		3
36.	परामर्शदायी सेवाएं		
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं		21.78
	प्रबन्ध सेवाएं		9.24
	विपणन		2.61
	निर्माण		4.25
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)		4.04
		योग:	41.92
37.	सेवा क्षेत्र		
	वित्तीय		1488.70
	गैर-वित्तीय सेवाएं		862.87
	बैंकिंग सेवाएं		82.33
	अन्य सेवाएं		13.11
		योग:	2447.01
38.	होटल तथा पर्यटन		
	होटल तथा रेस्तरां		1109.26
	पर्यटन		1.67
		योग:	1110.93
39.	ट्रेडिंग कंपनी		67.86
40.	विविध उद्योग		
	बागवानी		12.56
	कृषि		24.20
	पुष्पखेती		32.32
	अन्य (विविध उद्योग)		720.57
		योग:	789.65
		योग:	27929.16

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2743. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नया निवेश करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों में आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधी-करण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निवेश का अनुमोदन किया है।

(ग) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य-निष्पादन समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करना, निदेशक मण्डलों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और उनका व्यवसायीकरण करना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना, उत्पाद मिश्र, संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन करना इत्यादि शामिल हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

2744. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारी घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन उद्यमों का निजीकरण करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची 22-3-1995 को सभा पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड-I के परिशिष्ट III में दी गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 117 उद्यमों ने घाटा उठाया है जिसका ब्यौरा सर्वेक्षण के उपर्युक्त खण्ड के विवरण सं॰ 7ख में दिया गया है।

(ख) अब तक इन उद्यमों में से किसी उद्यम के निजीकरण का निर्णय नहीं किया गया है;

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार